

(ए. क. शर्मा)
 वैदिकीय जल संवर्धन आधिकारी,
 आर.टी.आई.सेल

काभा एम्, आई दिल्ली- 110066, टैगोर म. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

याद आप उपरीक्त सेवना से सन्तुष्ट नही है तो इस सेवना की पाठि के 30 दिना के अंदर प्रथम अपील खाद आप उपरीक्त सेवना से सन्तुष्ट नही है तो इस सेवना की पाठि के 30 दिना के अंदर प्रथम अपील

विद्यु. सं. 11	सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग में जो भी शिकायत प्राप्त होती है, स्कूटनी के पश्चात संबंधित सूचना आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु अज्ञातित कर दी जाती है। उन्मुखनी है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोग में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं इसलिए शिकायतों की सुनवाई में वकत लगता है। आयोग में प्राप्त इस तरह की शिकायतों की सुनवाई "एतने आभी एतने पाओ" के आधार पर निर्धारित की जाती है अर्थात् जो शिकायत पहले दर्ज हुई है, उसकी सुनवाई पहले की जाती है। साथ ही यह भी उन्मुख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अतिरिक्त अन्य शिकायतों पर कार्यवाही करना केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायाधिक क्षेत्र से बाहर है।
विद्यु. सं. 12 एवं 13	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकांशी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. - एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अज्ञातित कर दिया गया है।
विद्यु. सं. 15	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकांशी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. - एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अज्ञातित कर दिया गया है।

-:३: गमगिज्जल जलमे पयलम म

कंप्यूटर उपर्युक्त विषयक कौशलिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को संबंधित आपका दिनांक 21.03.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जिसके बिंदु सं 11, 12, 13, 15 एवं 17 से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु कौशलिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 12.06.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग की अधिसूचित किया गया तथा जाँच कि दिनांक 14.06.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 141493) तथा किस अन्य दस्तावेज के साथ लिंक हो जाने के कारण आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 17.10.2017 को प्राप्त हुआ,

विषय:- सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, 2005 के तहत आपके आदेश के संबंध में।

‘गामकं पदमेवम्’

ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ

संख्या स.CICOM/R/2017/01268

दिनांक. 20.10.2017

990011 - ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਫ਼ਲ, ਜਲਮ ਮਾਧ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼

हितीय तत्, श्री विष्णु, अथास्त कति भवत

કેવળીય મેવળા આચાર્ય

1	श्री एस. सी. शर्मा के. सं. आ. उप-पंजीयक, म. सं. आ. कार्यालय, एवं केन्द्रीय जल संचालन अधिकारी	विदु सं. 12 एवं 13	उक्त आवेदन दिनांक 18.10.2017 को आर.टी.आई. एम.आई.एस. के द्वारा ऑनलाइन अभ्यसहित किया जा चुका है। कृपया वांछित संचालन अधिकारी अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित संचालन आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अभ्यसहित करें।
1	श्री ए. के. तलपारा, केन्द्रीय जल संचालन अधिकारी एवं उप- पंजीयक संचालन आयुक्त - ए.बी. कार्यालय, के. सं. आ.	विदु सं. 14	